न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, हरदोई।

विशेष परिवाद संख्या– 681/2016

कृष्णपाल बनाम श्रवण आदि

दिनांक 15.09.2018

पत्रावली पेश हुई।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. में उल्लेख किया है कि वह अनुसूचित जाति चमार बिरादरी का व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है। विपक्षीगण सवर्ण जाति के क्षत्रिय है। प्रार्थी ने विपक्षी श्रवण कुमार सिंह के गन्ने के खेत की बैलों द्वारा जुताई का ठेका कुल चार जुताई/निराई का रूपये 3,000/– में लिया था। प्रार्थी को विपक्षी ने प्रथम जुताई/निराई के समय रूपये 1,000/– दिया था तथा प्रार्थी शेष जुताई/निराई करने के पश्चात दिनांक 22.06.2016 को शेष बकाया पैसा रूपये 2,000/– मजदूरी का मांगने विपक्षीगण के घर गया तो विपक्षीगण ने पैसा देने से इन्कार कर दिया, जब प्रार्थी ने कहा कि उसके घर में खाने को नहीं है, बच्चों के लिए राशन लेना है, कुछ पैसा तो दे दो। इस पर विपक्षीगण ने कहा कि तुम्हारे बच्चों के राशन के लिए मैंने ठेका नहीं लिया है। जब मैंने कहा कि तुम्हारी थाने पर शिकायत करूंगा तो इससे विपक्षीगण नाराज हो गये और जाति सूचक शब्द साले चमार कहते हुए मां बहन की गाली दी और कहा कि थाने पर शिकायत करोगे तो मैंने कहा हां, मैं थाने पर शिकायत करूंगा तो विपक्षीगण ने प्रार्थी को लात–घूसों व डण्डों से मारापीटा, प्रार्थी के शोर पर गांव के तमाम लोग रामअवतार सिंह व छोटे भइया आदि आ गये, जिन्होंने प्रार्थी को बचाया। प्रार्थी ने थाने पर शिकायत की तथा अपना डाक्टरी परीक्षण जिला अस्पताल में कराकर उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिये, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया तथा परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान रामऔतार सिंह एवं छोटे भइया का बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. अंकित किया गया।

परिवादी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

परिवादी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–200 दं.प्र.सं. में अपने परिवादपत्र में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दिनांक 22.06.2016 की शाम 5 बजे की बात है, उसने श्रवण के गन्ने के खेत को जोतने का ठेका रूपये 3,000/– में लिया था। उसने गन्ने के खेत को बैलों से जोत दिया था। श्रवण ने उसे एडवांस में रूपये 1,000/– दिये थे, शेष रूपये 2,000/– मांगने वह विपक्षीगण के घर गया था तो श्रवण ने उसे गाली गलौज किया तथा श्रीमती छुन्ना ने उसे डंडो से मारा था। वहां

रामऔतार व छोटे भइया ने उसे बचाया था।

परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–1 रामऔतार सिंह एवं पी.डब्लू.–2 छोटे भइया के द्वारा अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा–202 दं.प्र.सं. में कथन किया गया है कि दिनांक 22.06.2016 को शाम 5 बजे श्रवण कुमार व उनकी पत्नी छुन्ना देवी कृष्णपाल चमार को लाठी–डण्डों से मारपीट व गाली गलौज कर रहे थे और जाति सूचक शब्दों से गालियां दे रहे थे। जानकारी करने पर कृष्णपाल ने बताया कि उसका मजदूरी का पैसा बाकी था, जिसे मांगने पर अभियुक्तगण गाली गलौज कर रहे थे।

परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में किये गये कथनों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि परिवादी के कथनों में किसी प्रकार का कोई असंभावी अथवा अप्राकृतिक कथन नहीं है। परिवादी के द्वारा स्पष्ट रूप से विपक्षीगण पर आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी मजदूरी के शेष रूपये 2,000/– मांगने के उपरांत भी नहीं दिये गये तथा मांगने पर उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मारापीटा गया। परिवादी के कथनों का समर्थन स्वतंत्र गवाहान रामऔतार सिंह एवं छोटे भइया ने अपने–अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. में किया है। परिवादी द्वारा उसके साथ हुए अपराध के सम्बंध में थाने पर शिकायत की गयी तथा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, हरदोई को प्रार्थनापत्र दिया गया, इसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब परिवादी ने यह परिवादपत्र प्रस्तुत किया है। परिवादी के कथनों का खण्डन करने हेतु इस समय पत्रावली पर कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस स्तर पर परिवादी के कथनों को असत्य मानने का कोई आधार नहीं है। परिवादी व परिवादी के गवाहान के बयानों के मूल्यांकन से प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के मजदूरी के रूपये उसके द्वारा मांगने पर परिवादी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारापीटा गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–323 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का मामला बनता प्रतीत होता है, जिसके लिए अभियुक्तगण विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण श्रवण कुमार सिंह एवं श्रीमती छुन्ना को धारा 323 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी पैरवी तीन दिन के अंदर करते हुए गवाहों की लिस्ट दाखिल करे, साथ ही अभियुक्तगण के समन के साथ परिवादपत्र की प्रतियां भी दाखिल करे। अभियुक्तगण के विरूद्ध समन कार्यालय लिपिक जारी करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 16.10.2018 को पेश हो।

(जय प्रकाश पाण्डेय)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट हरदोई।

15.09.2018